प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023............
प्र0सू0रि0 सं. ....19/2023.................... दिनांक ....21/1/2023..................

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ....7,7–ए............
(ii) अधिनियम.................................भा.द.स..................................धारायें..................120 बी..................
(iii) अधिनियम... धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...............................415.......... समय ....3:30 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 20.01.2022 समय ....03.09 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पूर्व दिशा में करीब 35 किलोमीटर
(ब) पता :– एसबीआई बैंक बाहर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री भंवरपालसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मांगुसिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 40 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव सूरपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1–श्रीमती माया देवी पत्नि श्री रामनिवास जाति गुर्जर उम्र 40वर्ष निवासी ग्राम नगंली गुजरान ग्राम पंचायत नाटास पुलिस थाना गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं, हाल प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2–श्री भोलाराम पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर उम्र 34वर्ष निवासी ग्राम नगंली गुजरान ग्राम पंचायत नाटास पुलिस थाना गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
3–श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम, जाति रैगर, उम्र–56 वर्ष, निवासी गांव बड़ागांव, पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू।
4–श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
5–श्री रामनिवास पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान श्रीमती माया देवी का पति।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 50,000 रूपये..........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें,

श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस
एसीबी सीकर।

विषय :– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मेरी आर्यन सिक्योरिटी सर्विसेज तथा शार्दुल कन्स्ट्रक्शन के नाम से दो फर्मे है। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत बडा गांव में तीन सीसी रोड का पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा कार्यआदेश दिये जाने पर मेरे द्वारा उक्त बडागांव में महावीर पुत्र भगवाना फूलवा के घर से रामनिवास व सेडू फूलवा के घर की ओर, अनिल सोनी के घर से भोमिया मंदिर तक एवं रतनलाल कुमावत के घर से भोमिया की ढाणी की ओर सीसी रोड़ निर्माण कार्य किया गया था। उक्त तीनों कार्य करीब 15 लाख रूपये के थे, जिनमें मेरे को करीब 6 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 9 लाख रूपये का भुगतान होना शेष है। ग्राम पंचायत मैनपुरा में 14 टंकी निर्माण कार्य किया गया है, जो करीब 28 लाख रूपये का है, जिनमें मेरे को करीब 5 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है तथा करीब 23 लाख रूपये का भुगतान होना शेष है। पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा करीब 44 ग्राम पंचायतों की सुरक्षा हेतु मेरे द्वारा मेरी फर्म आर्यन सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम टेण्डर जारी हुआ था, जिसके तहत वर्ष 2020 व 2022 में मैने 39 ग्राम पंचायतों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी लगाये गये थे। उक्त वर्षो का सुरक्षा गार्ड का भुगतान करीब 20 लाख रूपये का बकाया चल रहा है। मेरे द्वारा उक्त सीसी रोड़, टंकी निर्माण एवं सुरक्षा कर्मियों के भुगतान से संबंधित भुगतान करने के लिये मैने पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान श्रीमती माया गुर्जर व प्रधान पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम, बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर एवं जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड से अलग–अलग वार्ता की तो श्रीमती माया गुर्जर प्रधान व उसके पति व देवर ने सीसी रोड़ से संबंधित शेष भुगतान दिलाने के लिये मेरे से 90 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर ने मेरे उक्त तीनों कार्यो का भुगतान दिलाने के लिये मेरे से 86 हजार रूपये की मांग की तथा जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड ने टंकी निर्माण कार्यो की एमबी भरने के लिये 60 हजार रूपये की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्यो के लिये पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान श्रीमती माया गुर्जर व प्रधान पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम, बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर एवं जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड को रिश्वत के रूपये देना नहीं चाहता हूँ और रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें। एसडी– भंवरपाल सिंह पुत्र श्री मांगूसिंह, उम्र–40 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव सूरपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं, मोबाईल नम्बर 9784294979, दिनांक 22.04.2022, कार्यवाही शुरू की जाती है। एसडी–श्री सरेशचन्द पुलिस निरीक्षक दिनांक 22.04.2022

कार्यवाही पुलिस

22.04.2022

4.00 पीएम इस समय परिवादी भंवरपाल सिंह पुत्र श्री मांगूसिंह, उम्र–40 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव सूरपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं ने कार्यालय में उपस्थित होकर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने निर्देश देने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अपने कक्ष में लाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान श्रीमती माया गुर्जर व प्रधान पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम, बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर एवं जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक

परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर दिनांक 22.04.2022 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी भंवरपालसिंह को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने कार्यालय समय समाप्त होने के कारण आईन्दा अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के दिगर ट्रेप कार्यवाही में कस्बा परबतसर में मुकिम होने के दौरान परिवादी श्री भंवरपाल सिंह ने कार्यालय में उपस्थित होकर

रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की बात जरिये दूरभाष कही, जिस पर कार्यालय के श्री अनिल कुमार एएओ को जरिये दूरभाष कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के साथ लेकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कस्बा उदयपुरवाटी जाने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। उस दिन समय करीब 9. 30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के उपस्थित कार्यालय आने पर श्री अनिल कुमार एएओ उपस्थित कार्यालय आया। श्री अनिल कुमार एएओ ने बताया कि ''सीकर से रवाना होकर हम दोनों उदयपुरवाटी पंचायत समिति के पास पहूँचे जहॉ मैने परिवादी को टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिया तथा उसके पंचायत समिति से बाहर आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया।'' श्री अनिल कुमार एएओ ने पंचायत समिति में बीडीओ एवं जेटीए के नहीं मिलने के कारण परिवादी की आरोपीगण से कोई वार्ता नहीं होना बताया।

तत्पश्चात दिनांक 29.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के दिगर राजकार्य से अलवर से चौकी एसीबी कार्यालय सीकर उपस्थित होने पर श्री कैलाशचन्द कानि. ने टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''समय 9. 00 एएम पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस ने मुझे कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उदयपुरवाटी रवाना किया तथा बाद सत्यापन समय 9.30 पीएम पर मै कार्यालय में उपस्थित हुआ था।'' श्री कैलाशचन्द कानि. ने बताया कि ''उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कस्बा उदयपुरवाटी में मैने परिवादी से सम्पर्क कर हम दोनों पंचायत समिति उदयपुरवाटी के पास पहूँचे, जहॉ मेरे द्वारा टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर देने पर परिवादी पंचायत समिति के अन्दर चला गया तथा परिवादी के वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।'' श्री कैलाशचन्द कानि. ने परिवादी की आरोपीगण श्री बाबूलाल बीडीओ एवं श्री नरेन्द्र जांगिड जेटीए से वार्ता होना बताया। श्री कैलाशचन्द कानि. ने बताया कि परिवादी ने उसे आईन्दा पंचायत समिति प्रधान एवं उसके पति एवं देवर से वार्ता करने की कही है। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.05.2022 को परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा पंचायत समिति प्रधान एवं उसके पति एवं देवर से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु टेप रिकार्डर कार्यालय के किसी कर्मचारी के साथ कस्बा उदयपुरवाटी भिजवाने की कही, जिस पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को कार्यालय का दूसरा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना उदयपुरवाटी किया गया। उसी दिन श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 मय परिवादी श्री भंवरपाल सिंह उपस्थित कार्यालय आये। श्री कैलाशचन्द कानि. ने टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''कस्बा उदयपुरवाटी में मैने परिवादी से सम्पर्क कर हम दोनों गांव नाटास पहूँचे जहॉ मेरे द्वारा टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर देने पर परिवादी पंचायत समिति प्रधान के घर की तरफ चला गया तथा उसके वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।'' परिवादी श्री भंवरपाल ने बताया कि आज मैं पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान के घर गया तो प्रधान श्रीमती माया गुर्जर व प्रधान पति श्री रामनिवास एवं प्रधान का देवर श्री भोलाराम घर पर मौजूद मिले, जिनसे मैने तीनों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता की तो प्रधान श्रीमती माया गुर्जर की मौजूदगी में प्रधान के पति श्री रामनिवास एवं प्रधान का देवर श्री भोलाराम ने मेरे निर्माण कार्यो का भुगतान दिलाने के लिये 90,000 रूपये रिश्वत के देने की कही। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। होती है। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को पंचायत समिति उदयपुरवाटी के जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड एवं बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर से अलग–अलग हुई वार्ता के संबंध में पूछने पर बताया कि ''दिनांक 29.04.2022 को पंचायत समिति उदयपुरवाटी में जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड ने मेरे निर्माण कार्यो की एमबी भरने के लिये 3 प्रतिशत के हिसाब से 78,000 रूपये कमीशन की मांग की तथा पूर्व के 15,000 रूपये आने की कहते हुये शेष 60,000 रूपये रिश्वत के देने की कही। श्री नरेन्द्र जेटीए द्वारा सिफारिश करने पर बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर ने पंचायत समिति स्तर से जारी कार्यआदेशों के निर्माण कार्यो के 2 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायत स्तर के कार्यो के 1 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन देने

की कही तथा सुरक्षा गार्डो के भुगतान दिलाने में 10–20 हजार रूपये एक साथ देने की कही। परिवादी ने अब तक उठाये गये भुगतान से संबंधित बिलों की राशि का 2 प्रतिशत के हिसाब से उठाये गये भुगतान से संबंधित 40,000 रूपये बीडीओ को देने की कही। परिवादी ने बताया कि वार्ता के दौरान जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड ने भी मेरे द्वारा करीब 20 लाख रूपयों के बिलों की आहरित की गई राशि का 2 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रूपये बीडीओ बाबूलाल को देने की कही है। कार्यालय की आलमीरा में रखा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। टेप रिकार्ड मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित पुनः आलमीरा में रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.05.20022 में प्रधान श्रीमती माया की मौजूदगी में ही उसके पति एवं देवर द्वारा परिवादी से 90,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई है, वार्ता के दौरान प्रधान श्रीमती माया द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई है। इस पर परिवादी को वार्ता सुनाई गई तो परिवादी ने उदयपुरवाटी पंचायत समिति प्रधान श्रीमती माया से रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता नहीं आने पर आईन्दा पुनः प्रधान श्रीमती माया से वार्ता करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 19.05.2022 को परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती माया गुर्जर से वार्ता करने के लिये कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर उदयपुरवाटी भिजवाने की कही, जिस पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना उदयपुरवाटी किया गया। उसी दिन श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 मय परिवादी श्री भंवरपाल सिंह उपस्थित कार्यालय आये। श्री कैलाशचन्द कानि. ने टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''कस्बा उदयपुरवाटी में मैने परिवादी से सम्पर्क कर हम दोनों गांव नाटास पहॅूचे जहॉ मेरे द्वारा टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर देने पर परिवादी पंचायत समिति प्रधान के घर की तरफ चला गया तथा उसके वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।'' परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने बताया कि ''मैं आज पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान के घर गया तो प्रधान श्रीमती माया गुर्जर व प्रधान पति श्री रामनिवास घर पर मौजूद मिले, मैने प्रधान श्रीमती माया गुर्जर से रूपये कम करवाने की कही तो कहा कि ''बे भोलजी ही जानते है, मै तो रूपयों के बारे में बात करती नहीं हूॅ, फिर कुछ देर बाद उसने अपने देवर भोलाराम से बात करने का आश्वासन दिया, फिर मैने कहा कि बीडीओ ने तो आपके 5 प्रतिशत के हिसाब से 45,000 रूपये ही बताये है, तो प्रधान ने कोई जबाब नहीं दिया तब मैने लास्ट में भोलाराम को पचास हजार रूपये ही देने की कहते हुये भोलाराम को पैसे लेने उदयपुरवाटी भेजने की कही तो प्रधान ने कहा कि ''ठीक है'' टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होती है।

तत्पश्चात दिगर मामले में पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सहदेव एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये। कार्यालय में मौजूद परिवादी भंवरपाल सिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को आरोपी श्री नरेन्द्र जांगिड जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को जेटीए श्री नरेन्द्र जांगिड पंचायत समिति उदयपुरवाटी की मौजूदगी में आरोपी बीडीओ श्री बाबूलाल रैगर पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उक्त दोनों वार्ताओ का परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी

भंवरपालसिंह ने स्वंय की व आरोपीगण श्री नरेन्द्र जांगिड जेटीए एवं श्री बाबूलाल रैगर बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 10.05.2022 को आरोपीगण श्रीमती माया प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं एवं प्रधान पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। उक्त वार्ता का परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी भंवरपालसिंह ने स्वंय की व आरोपीगण श्रीमती माया प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं एवं प्रधान पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 19.05.2022 को आरोपीगण श्रीमती माया प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं एवं प्रधान पति श्री रामनिवास से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। उक्त वार्ता का परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी भंवरपालसिंह ने स्वंय की व आरोपीगण श्रीमती माया प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं एवं प्रधान पति श्री रामनिवास की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपालसिंह ने दिनांक 20.05.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही, चूँकि आरोपीगण बीडीओ, जेटीए एवं प्रधान के देवर भोलाराम के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही पंचायत समिति में किये जाने के मध्यनजर ट्रेप कार्यवाही के दौरान अन्य आरोपीगण के निवास स्थान गांव नाटास पर निगरानी रखने एवं दस्तियाब करने हेतु दूसरी टीम की आवश्यकता होने पर ब्यूरो मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर टीम मय जाप्ता के दिनांक 20.05.2022 को एसीबी कार्यालय सीकर भिजवाने की ताकीद की गई। परिवादी को कल दिनांक 20.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.05.2022 को ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक मय टीम के उपस्थित कार्यालय आये तथा पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सहदेव एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर एवं परिवादी भंवरपालसिंह उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने अपने स्तर पर आरोपीगण की मौजूदगी के बारे में पता कर बताा कि आज गांव छापोली में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प लगाया गया है, जिसमें बीडीओ जरूर जायेगा तथा परिवादी ने जेटीए के अवकाश पर जाना बताया, जिस पर श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक मय टीम के तथा स्वतंत्र गवाहान श्री सहदेव एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर एवं परिवादी भंवरपालसिंह को मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.05.2022 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने आरोपीगण के विरूद्व दिनांक 25.05.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक को अपनी टीम सहित कल दिनांक 25.05.2022 को सुबह जल्दी एसीबी चौकी सीकर पर उपस्थित होने की ताकीद की गई। दिनांक 25.05.2022 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह तथा श्री सहदेव कनिष्ठ सहायक की जगह श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर उपस्थित कार्यालय आये। कुछ देर पश्चात श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक अपनी टीम सहित उपस्थित कार्यालय आये।

तत्पश्चात परिवादी के चाहेनुसार प्रधान के देवर श्री भोलाराम के पंचायत समिति उदयपुरवाटी पर उपस्थित आने हेतु परिवादी ने अपने मोबाईल फोन नं.

9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल नम्बर 6367244463 पर कॉल लगाकर वार्ता की तो भोलाराम ने किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण पंचायत समित पर प्रधान को समय ग्यारह–साठे ग्यारह बजे तक भिजवाने की कही। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में मोबाईल फोन के स्पीकर के जरिये टेप किया गया।

तत्पश्चात गवाह श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक को अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करवाकर परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। परिवादी ने बताया कि प्रधान पति रामनिवास को ही प्रधान के नाम से पुकारते है। परिवादी ने बताया कि प्रधान पति रामनिवास एवं भोलाराम दोनों ने ही मेरे से रिश्वत की मांग की है, परिवादी ने बताया कि आज भोलाराम के कहीं जाने के कारण उसने अपने भाई प्रधान पति श्री रामनिवास को पंचायत समिति उदयपुरवाटी भिजवाने की कही है।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हिदायत देने पर परिवादी श्री भंवरपाल सिंह ने आरोपीगण श्रीमती माया गुर्जर प्रधान के पति श्री रामनिवास, श्री बाबूलाल रैगर बीडीओ, श्री नरेन्द्र जांगिड जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं को अलग–अलग देने वाली रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर परिवादी श्री भंवरपाल सिंह आरोपिया श्रीमती माया गुर्जर प्रधान के पति श्री रामनिवास को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपयों के 25 नोट कुल 50,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4GL 373563
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8GB 519200
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0GL 441617
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8KE 407355
5–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0EB 832928
6–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0HP 039665
7–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8DM 913317
8–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3GB 882168
9–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3FM 048465
10–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9EA 654151
11–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9AF 246958
12–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7EF 119545
13–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8BG 923757
14–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0 BR 317419
15–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2DW 753408
16–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7HT 342862
17–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8FN 524731
18–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5GK 611503
19–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5AG 154392
20–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7BM 771994
21–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1GF 514908
22–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7KK 347871
23–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1BA 672173
24–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5CK 250971
25–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5DC 149730

परिवादी श्री भंवरपाल सिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री बाबूलाल रैगर बीडीओ, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपयों के 15 नोट कुल 30,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2KF 900767
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8FT 620847
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9EP 590417
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1DD 429122
5–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1HV 449808

6–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6HA 923847
7–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1DM 572516
8–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3DQ 042360
9–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5DA 579119
10–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2HU 475077
11–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8EK 723685
12–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5GM 392105
13–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7CD 338144
14–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8KE 577578
15–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7HU 426513

परिवादी श्री भंवरपाल सिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री नरेन्द्र जांगिड जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट दो–दो हजार रूपयों के 4 नोट, पॉच–पॉच सौ रूपयों के 24 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5KH 671431
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4ET 256793
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0ES 539133
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5FC 518824
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3EA 414768
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8ED 056218
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4DR 647522
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9DG 995955
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2HR 602601
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6HK 458466
11–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2AM 850826
12–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4AM 595752
13–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9FR 434165
14–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1MF 898993
15–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2DF 379881
16–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9CQ 600835
17–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0TL 451716
18–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7ME 742663
19–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9LF 890466
20–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7PA 696006
21–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8BW 139754
22–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7VB 797660
23–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7GM 667295
24–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1KW 118214
25–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0AS 072596
26–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4BP 712923
27–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7BA 295769
28–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2WK 015212

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री अनिल कुमार एएओ से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री पंकज कुमार से परिवादी श्री भंवरपालसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000, 30,000 एवं 20,000 रूपयों के नोटों की अलग–अलग थेई बनाकर उन पर रबड लगाया गया। संबंधित नोटों की थेई पर उपरी नोट पर आरोपीगण के नाम के प्रथम अक्षर क्रमशः रा., बा. एवं न. अंकित किया जाकर आरोपीगण श्री रामनिवास, श्री बाबूलाल एवं श्री नरेन्द्र को दी जाने वाली अलग–अलग राशि की पहचान हेतु परिवादी को समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे उपरोक्त नोटों की थेईयों को श्री

अनिल कुमार एएओ के द्वारा परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई कि यदि बीडीओ एवं जेटीए दोनों में से कोई एक पंचायत समिति में मौजूद नहीं मिलता है तो दोनों की रिश्वती राशि किसी एक को देवे। परिवादी को आरोपीगण पर नजर रखने की हिदायत दी गई। प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनों पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अनिल कुमार एएओ से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री अनिल कुमार एएओ के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात श्री हेमन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक को मय उसकी टीम सहित इस कार्यालय के श्री अनिल कुमार एएओ के साथ कार्यवाही होने के उपरान्त आरोपी को डिटेन कर लाने हेतु प्रधान के गांव नाटास रवाना किया जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी भंवरपालसिंह, स्वतंत्र गवाहान पंकज कुमार एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 483 एवं चालक श्री सुरेन्द्र कुमार के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर पंचायत समिति उदयपुरवाटी के पास पहूॅचा जहॉ परिवादी ने अपने स्तर पर श्री बाबूलाल बीडीओ का पता किया तो बीडीओ का प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत पापडा कैम्प में जाना बताया। परिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल बीडीओ को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि श्री नरेन्द्र जेटीए ले लेगा, जिस पर कार्यालय के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री दलीप कुमार कानि. एवं श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को जरिये प्राईवेट वाहन के कार्यवाही होने पर श्री बाबूलाल बीडीओ को कैम्प से डिटेन करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना गांव पापडा किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.13 पीएम पर प्रधान पति श्री रामनिवास के पंचायत समिति उदयपुरवाटी पहूॅचने के क्रम में परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री रामनिवास प्रधान पति के मोबाईल फोन नम्बर 9885152993 पर वार्ता करवाई तो श्री रामनिवास प्रधान पति ने घण्टे भर बाद आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के मुख्य सड़क के किनारे वाहनों में ही मुकिम हुआ। समय करीब 12.48 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 पर प्रधान देवर श्री भोलाराम ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 से कॉल कर प्रधानजी रामनिवास जी के जरूरी कार्य होने के कारण पंचायत समिति उदयपुरवाटी नहीं आने की कही तथा स्वयं का भी निजी कार्य में व्यस्त होना बताया। जिस पर परिवादी के चाहेनुसार आईन्दा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर परिवादी की जेब में रखे पाउडर लगे रूपये के नोट श्री मूलचन्द कानि. से निकलवाये जाकर एक लिफाफे में डलवाये तथा परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। पूर्व में गांव नाटास एवं पापडा भेजी गई पार्टी को मुनासिब हिदायत दी जाकर जाय तैनाती रवाना होने की मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के रवाना होकर सीकर पहूॅचा। पाउडर लगे रिश्वती राशि के नोट एवं डिजिटल टेप रिकार्डर सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.06.2022 को परिवादी ने जरिये दूरभाष दिनांक 06.06.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर संबंधित गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को दिनांक 06.06.2022 को समय 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 06.06.2022 को पूर्व से पाबन्द शुदा श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस

निरीक्षक एवं एसीबी चौकी झुंझुनूं से अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से सम्पर्क करने पर परिवादी ने आरोपीगण के पंचायत समिति उदयपुरवाटी में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 3.00 पीएम पर परिवादी ने जेटीए का पंचायत समिति में होना बताया तथा भोलाराम का उस दिन रूपये लेने उदयपुरवाटी नहीं आना बताया। परिवादी के चाहेनुसार आईन्दा ट्रेप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई तथा संबंधित गवाहान एवं स्टाफ आदि को जाय तैनाती हेतु रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.06.2022 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने श्री भोलाराम का कॉल आने की कहते हुये आरोपीगण के विरूद्व कल दिनांक 08.06.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक एवं एएसपी एसीबी चौकी झुंझुनूं को स्टाफ के अन्य सदस्यों को कल दिनांक 08.06.2022 को सुबह जल्दी एसीबी चौकी सीकर पर उपस्थित होने की ताकीद की गई। दिनांक 08.06.2022 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित कार्यालय आने तथा स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक की जगह श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायक के कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर उपस्थित कार्यालय आने पर गवाह श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। कुछ देर पश्चात श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक मय श्री विजेन्द्र कुमार कानि. नं. 50 के जरिये प्राईवेट वाहन एवं एसीबी चौकी झुंझुनूं से श्री सुभाषचन्द एएसआई, श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. नं. 511, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री जगदेवसिंह कानि. चालक के जरिये सरकारी वाहन उपस्थित कार्यालय आये।

तत्पश्चात श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक मय श्री विजेन्द्र कुमार कानि. नं. 50, एसीबी चौकी झुंझुनूं के श्री सुभाषचन्द एएसआई, श्रीमती सुमित्रा महिला कानि. नं. 511, श्री जगदेवसिंह कानि. चालक एवं एसीबी चौकी सीकर के श्री अनिल कुमार एएओ को जरिये सरकारी वाहन के आरोपीगण को दस्तियाब करने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना गांव नाटास किया गया। श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री मूलचन्द कानि. एवं श्री अनिल कुमार कनिष्ठ सहायक एसीबी चौकी झुंझुनूं को जरिये प्राईवेट वाहन के आरोपी बीडीओ को दस्तियाब करने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना प्रशासन गांवों के संग कैम्प बड़ा गांव किया गया।

तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000, 30,000 एवं 20,000 रूपयों के नोटों की अलग–अलग थेई श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से आलमारी से निकालवाई गई जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से नोटों का दोनों गवाहान श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायक से मिलान करवाया गया। नोटों की थेई पर उपरी नोट पर आरोपीगण के नाम के प्रथम अक्षर क्रमशः रा., बा. एवं न. अंकित किया हुआ है, जो आरोपीगण श्री रामनिवास, श्री बाबूलाल एवं श्री नरेन्द्र को दी जाने वाली अलग–अलग राशि की पहचान हेतु परिवादी को समझाया जाकर उक्त नोटों की थेईयों को परिवादी के पहनी हुई पायजामा की सामने की दाहिनी जेब में रखवाई जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साबून पानी से धुलवाये जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 11.37 एएम पर श्री भोलाराम के उदयपुरवाटी पहूँचने के संबंध में परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 9828612319 पर वार्ता करवाई तो श्री भोलाराम ने कहा कि प्रधान स्वयं पंचायत समिति आ रही है, वह आपसे मिल लेगी, जिस पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी भंवरपालसिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री कमल कुमार कनिष्ठ सहायक एवं कार्यालय स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 483 एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से सीकर से रवाना होकर बस स्टेण्ड उदयपुरवाटी के पास पहूँचा, इसी दौरान समय 01.16 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 पर श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 से कॉल आया, जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान

परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने प्रधान के टाईम लगने की सम्भावना के मध्यनजर रूपये श्री नरेन्द्र जेटीए को देने की कही तो भोलाराम ने रूपये नरेन्द्र जेटीए को देना स्वीकार किया।

तत्पश्चात परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने अपने स्तर पर जेटीए श्री नरेन्द्र का मालूमात कर बताया कि अभी जेटीए नरेन्द्र पंचायत समिति में नहीं है, जिस पर समय 02.11 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री नरेन्द्र जेटीए के मोबाईल फोन नम्बर 7014746600 पर कॉल लगाकर उसकी मौजूदगी का पता किया तो जेटीए श्री नरेन्द्र ने स्वयं का नवलगढ की तरफ निकल जाना बताते हुये परिवादी को नवलगढ में नवलडी रोड पर प्रशान्त फर्नीचर नाम की दूकान पर आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के रवाना होकर कस्बा नवलगढ में नवलडी रोड पर पहूँच परिवादी को उसके वाहन से नवलगडी रोड स्थित प्रशान्त फर्नीचर की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के मुख्य सड़क पर वाहनों में ही परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 4.10 पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि "मैने नरेन्द्र जेटीए से उनके घर के बाहर मेरे वाहन में बुलाकर वार्ता की तो उसने कहा कि मुझे शक हो रहा है, बीडीओ ने भी फोन नहीं उठाया है" परिवादी ने बताया कि नरेन्द्र जेटीए ने मुझे आईन्दा फोन करने की कहते हुये स्वयं की एवं बीडीओ एवं प्रधान की रिश्वती राशि लेने से मना कर दिया, जिस पर श्री हेमेन्त वर्मा पुलिस निरीक्षक एवं एसीबी चौकी झुंझुनूं के स्टाफ को जाय तैनाती रवाना होने की हिदायत दी गई। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी को साथ लेता हुआ रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। परिवादी के पायजामें मे रखी रिश्वती राशि के नोट निकलवाये जाकर लिफाफे में डलवाकर सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.05.2022 को समय 9.15 एएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल फोन नं. 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल नम्बर 6367244463 पर कॉल लगाकर वार्ता की गई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में मोबाईल फोन के स्पीकर के जरिये टेप किया गया। इसके अलावा परिवादी भंवरपालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 08.06.2022 को करीब समय 01.16 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 पर श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 से कॉल आया, जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उपरोक्त दोनों वार्ताओं का गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी भंवरपालसिंह ने स्वंय की व आरोपी प्रधान देवर श्री भोलाराम की आवाजों की पहचान की है। परिवादी भंवरपालसिंह ने मामलें को कुछ दिन तक पैण्डिंग रखने की कही जिस पर परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.01.2023 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह ने श्री राजेश जांगिड उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 13.01.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने की कहने पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक अगवत कराया। कार्यालय में पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर को दिनांक 13.01.2023 को सुबह 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा ब्यूरो मुख्यालय से एक टीम अलग से कार्यालय में भिजवाने की ताकीद की गई।

तत्पश्चात दिनांक 13.01.2023 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल रैगर बीडीओ का स्थानान्तरण हो गया है तथा नरेन्द्र जेटीए को मेरे पर शक हो गया है, इसलिये बीडीओ एवं जेटीए दोनों मेरे से सीधे तौर पर रिश्वत के रूपये नहीं लेगे। परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पैण्डिंग बिलों का सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिये पंचायत

समिति प्रधान के देवर श्री भोलाराम ने मेरे से रूपये देने की कही है। परिवादी ने बताया कि मेरे जरूरी कार्य होने के कारण मेरे द्वारा अग्रिम कार्यवाही करवाने में देरी हो गई है।

तत्पश्चात श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर उपस्थित आये। उक्त दोनों स्वंतत्र गवाहान को तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात श्री चित्रगुप्त उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर से अपनी टीम सहित उपस्थित हुये, जिनके साथ कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 एवं श्रीमती मंजू महिला कानि. को श्री चित्रगुप्त उप अधीक्षक पुलिस की टीम में शामिल किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस को आरोपीगण को दस्तियाब करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर प्रधान के गांव नाटास के आस–पास मुकिम रहने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोटों को श्री सुरेश कुमार कानि. चालक एसीबी सीकर से आलमारी से निकालवाई गई जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से नोटों का दोनों गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण से मिलान करवाया गया। नोटो को परिवादी के पहनी हुई पायजामा की सामने की दाहिनी जेब में रखवाई जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साबून पानी से धुलवाये जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस को हमराह लेकर उनके साथ श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, कानि. चालक श्री सुरेशचन्द के जरिये सरकारी वाहन तथा परिवादी भंवरपालसिंह के साथ श्री मलूचन्द कानि. नं. 207 को उसकी प्राईवेट वाहन से तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताशसिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से सीकर से रवाना होकर पिपराली के पास पहूँचा जहॉ समय करीब 11.33 एएम पर परिवादी द्वारा श्री भोलाराम को उदयपुरवाटी बुलाने के लिये अपने मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तो भोलाराम ने आज मौसम खराब होने की कहते हुये उदयपुरवाटी आने के लिये मना कर दिया। परिवादी ने भोलाराम को उसके घर पर रिश्वत नहीं देने की कही, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर तथा परिवादी के पायजामें मे रखी रिश्वती राशि के नोट निकलवाये जाकर लिफाफे में डलवाये गये। श्री चित्रगुप्त उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर को एसीबी सीकर के स्टाफ को छोडा जाकर जाय तैनाती रवाना होने की हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी को साथ लेता हुआ पिपराली से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। परिवादी ने आईन्दा एक–दो दिन बाद कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.01.2023 को परिवादी श्री भंवरपालसिंह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि कल मेरी भोलाराम से बात हुई है जिसने मेरे को आज पंचायत समिति उदयपुरवाटी आने की कही है। परिवादी ने पंचायत समिति प्रधान के देवर श्री भोलाराम को उसके हिस्से की रिश्वती राशि देने की कही। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द शुद्वा श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय करीब 10.27 एएम पर श्री भोलाराम की मौजुदगी का पता लगाने के लिए परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तो एक–दो बजे तक उदयपुरवाटी आने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया।

तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 50,000 रूपयों के नोटों को श्री रोहिताश कुमार हैड कानि. 18 से आलमारी से निकालवाई गई जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से नोटों का दोनों गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण से मिलान करवाया गया। नोटो को परिवादी के पहनी हुई पायजामा की सामने की दाहिनी

जेब में रखवाई जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साबून पानी से धुलवाये जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए कार्यालय का डिजीटल टेप रिर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द किया गया। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस को हमराह लेकर उनके साथ श्रीमती मंजु मकानि. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं चालक श्री सुरेशचन्द के जरिये सरकारी वाहन तथा परिवादी भंवरपालसिंह के साथ श्री मलूचन्द कानि. नं. 207 को उसकी प्राईवेट वाहन से तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताशसिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री दलीप कुमार कानि. नं 10, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर गांव रामपुरा के पास पहूॅचा जहॉ समय करीब 1.44 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तो भोलाराम ने पंचायत समिति उदयपुरवाटी के पास आकर बात करने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। बाद वार्ता मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गांव रामपुरा से रवाना होकर समय करीब 2.00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कस्बा उदयपुरवाटी में एसबीआई बैंक के बाहर मुख्य रोड पर पहूॅचा, जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर गया। इसी दौरान श्री निरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर से अपनी टीम सहित उपस्थित हुये, जिनके साथ कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को उनकी टीम में शामिल किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी नरेन्द्र जेटीए को दस्तियाब करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना बुहाना किया गया जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल बीडीओ वर्तमान में चूरू पदस्थापित है, इस पर श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ को दस्तियाब करने हेतु श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चूरू को मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीब 2.10 पीएम पर कस्बा उदयपुरवाटी में एसबीआई बैंक के बाहर मुख्य रोड पर जहॉ परिवादी को उसकी गाडी में छोडा जाकर श्री भोलाराम को मौके पर बुलाने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय करीब 2.20 पीएम पर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमती मंजू महिला कानि नं. 483, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेश कुमार कानि. चालक को जरिये सरकारी वाहन बुलेरो के आरोपिया श्रीमती माया देवी प्रधान पंचायत समिति उदयपुवाटी को दस्तियाब करने का निवेदन कर रवाना पंचायत समिति उदयपुरवाटी किया गया।

तत्पश्चात समय करीब 3.09 पीएम पर कस्बा उदयपुरवाटी में एसबीआई बैंक के बाहर मुख्य रोड पर परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में खडे मन् पुलिस निरीक्षक को समय 03.05 पीएम पर एक व्यक्ति स्कूटी से आकर परिवादी की गाडी में आकर बैठ गया। तत्पश्चात समय 03.09 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा तय शुद्वा ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारे से साथ लेते हुये परिवादी की गाडी के पास पहूॅचा तो परिवादी ने अपने पास ड्राईवर सीट की बगल की सीट पर बैठै हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री भोलाराम प्रधान का देवर है जिसने मुझसे अभी अभी मेरे काम के सम्बन्ध में बात करते हुये इनके मांगने पर मैनें इनको पाउडर लगे हुये पचास हजार रूपये रिश्वती राशि दी है जो इन्होने अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिने जेब में रखलिये जिस पर मैने आपको ईशारा कर दिया। परिवादी भंवरपाल के पास ड्राईवर सीट के पास आगे की सीट पर बैठे हुये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका नाम पता तथा परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम भोलाराम पुत्र स्व. श्री मालाराम जाति गुर्जर उम्र 34वर्ष निवासी ग्राम नगंली गुजरान ग्राम पंचायत नाटास पुलिस थाना गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं होना बताते हुये कहा कि ''इसने हमारे गॉव में टंकी निमार्ण का कार्य किया था जिसका मैटैरियल मेरे द्वारा इनको सप्लाई किया गया था उसी के पैसे लिये है जो मेरे पास ही है'' परिवादी भवरपाल ने आरोपी भोलाराम के कथनो का खण्डन करते हुये कहॉ कि'' भोलाराम झुठ बोल रहे है मेरे द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी के बड़ा गॉव में तीन सीसी रोड के कार्य का टैण्डर मेरी फर्म शार्दुल कन्स्ट्रक्सन के नाम होने पर कार्य

किया गया था उक्त कार्य के बिलो के पास करने की ऐवज में प्रधान माया देवी, उनके पति रामनिवास गुर्जर एवं भोलाराम द्वारा मेरे से नो लाख रूपये के बिलो की एवज में 90 हजार रूपये रिश्वति राशि की मांग की जाकर पचास हजार रूपये देने की बात पर सहमत होने पर इनकीं मांग के अनुसरण में मैने इनके मांगने पर पचास हजार रूपये रिश्वति राशि दी है'' रिश्वती राशि आरोपी भोलाराम के पास होने की पुष्टी होने पर एवं आम रोड होने एवं मौके पर भीड़ भाड़ की स्थिति होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार भोलाराम का दाहिना हाथ श्री मुलचन्द कानि. एंव बायां हाथ श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 द्वारा कलाईयो से उपर पकड़वाकर प्राईवेट वाहन में बैठाकर तथा श्री भोलाराम द्वारा लाई गई स्कूटी को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान समय 3.20 पीएम पर पुलिस थाना उदयपुरवाटी पहुॅच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी भोलाराम (प्रधान का देवर) के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी भोलाराम (प्रधान का देवर) के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर आरोपी भोलाराम (प्रधान का देवर) ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखे दो–दो हजार रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री अजय कुमार से गिनवाया गया जो कुल 50,000 रूपयों के नोट पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 50,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी भोलाराम प्रधान का देवर को दूसरी लोवर उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी भोलाराम प्रधान का देवर की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी भोलाराम प्रधान का देवर की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की सामने की दाहीनी जेब में 4300 रूपये पाये गये जिनके बारें में पूछने पर आरोपी भोलाराम (प्रधान का देवर) ने स्वयं के होना तथा अपने घर से लाना बताया। उक्त 4300 रूपयों को बाद सन्तुष्टि आरोपी भोलाराम प्रधान का देवर को सुपुर्द किया गया। आरोपी भोलाराम की उक्त पेन्ट बरंग निली की पिछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ई'' अंकित किया गया।

बाद कार्यवाही उपरोक्त श्री राजेश जागिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजेन्द्र कानि. 126, श्रीमती मंजु मकानि. 483, श्री दलीप कुमार कानि. 10 ने श्रीमती माया देवी, प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की। श्रीमती माया देवी, प्रधान को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं श्री भोलाराम के मार्फत परिवादी श्री भवरपाल सिंह से 50,000रूपये रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो श्रीमती माया देवी, प्रधान ने कहा कि '' मैने मेरे देवर भोलाराम को भंवरपाल से 50,000रूपये रिश्वत के लेने के लिये नही कहा है, मेरा सारा कार्य भोलाराम ही देखते है, भवरपाल को मैं जानती अवश्य हूॅ, मैनें भंवरपाल से कभी भी कोई रिश्वत लेनदेन की बात नही की है। भोलाराम ने इनसे किस बात के पैसे लिये है, मेरे को जानकारी नही है'' जिस पर परिवादी ने श्रीमती माया देवी, प्रधान के कथनो का खण्डन करते हुये कहा कि ''

दिनांक 10.05.2022 को मैं अपने कार्य के सम्बन्ध में इनके घर पर मिला तो प्रधान श्रीमती माया देवी, इनके पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम ने मेरे बिलो का भुगतान करने की एवज में 90,000रूपये रिश्वत देने की कही इसके बाद दिनांक 19.05.2022 को मैं इनके घर पर प्रधान श्रीमती माया देवी एवं इनके पति श्री रामनिवास से मिला तो इन्होने अपने पति की मौजुदगी में पैसो की बात की, जब मैनें इनको कहॉ कि भोलजी को उदयपुरवाटी भेज देना 50,000रूपये दे दूगां तब इन्होने कहा ठीक है'' उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। श्री भोलाराम द्वारा उपयोग में ली गई स्कूटी संबंधित ग्राम सेवक को सुपुर्द की गई।

घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु श्री भोलाराम एवं श्रीमती माया देवी को ब्यूरो स्टाफ की निगरानी में छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण, परिवादी भंवरपाल को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन के घटना स्थल पहूॅच घटना स्थल का निरीक्षक कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया। बाद कार्यवाही उपरोक्त घटना स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना उदयपुरवाटी पहूॅचा।

तत्पश्चात आरोपी श्री भोलाराम पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर उम्र 34वर्ष निवासी ग्राम नगंली गुजरान ग्राम पंचायत नाटास पुलिस थाना गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपिया श्रीमती माया देवी पत्नि श्री रामनिवास जाति गुर्जर उम्र 40वर्ष निवासी ग्राम नगंली गुजरान ग्राम पंचायत नाटास पुलिस थाना गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनूं, हाल प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्रीमती माया देवी एवं श्री भोलाराम व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड के उदयपुरवाटी से रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय सीकर पहूॅचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 7.30 पीएम पर एसीबी चूरू के श्री ओमप्रकाश कानि. मय स्टाफ के श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू को दस्तियाब कर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री भंवरपाल के बिलों के भुगतान पारित करवाने के संबंध में श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी से दिनांक 29.04.2022 को परिवादी से कमीशन/रिश्वती राशि 40,000 रूपये की मांग करने के संबंध में पूछा गया तो बताया कि ''मैने इनसे कभी भी कोई रिश्वत की मांग नहीं की है'' मौके पर परिवादी ने श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि '' रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को श्री नरेन्द्र जेटीए ने इनसे मेरी मध्यस्था करवाने की कहकर मेरे को जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी में इनके पास ले गया जहॉ इन्होने नरेन्द्र जेटीए के कहने पर पंचायत समिति स्तर के कार्यो में 2 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायत स्तर के कार्यो में 1 प्रतिशत कमीशन तथा ग्राम पंचायत में लगाये गये सुरक्षा गार्डो के 10–20 हजार रूपये एक साथ लेने पर सहमत हुये थे, तब श्री नरेन्द्र जेटीए ने पंचायत समिति स्तर के भुगतान उठाये गये करीब 20 लाख रूपयों के कार्यो के 40,000 रूपये इनको देने की कही थी। एसीबी कार्यालय चूरू के स्टाफ को जाय तैनाती रवाना किया।

तत्पश्चात श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू के सीकर स्थित निवास स्थान की खाना तलाशी लेने हेतु श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण, स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ को हमरा लेकर रवाना हुये। समय करीब 8.45 पीएम पर श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिह एवं श्री अजय कुमार कनिष्ठ सहायकगण एवं श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ को लेकर बाद खाना तलाशी उपस्थित कार्यालय आये।

तत्पश्चात श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम, जाति रैगर, उम्र–56 वर्ष, निवासी गांव बड़ागांव, पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति

उदयपुरवाटी हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। श्री निरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर से सम्पर्क करने पर श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन जेटीए की मौजूदगी का पता नहीं चलना बताया, जिस पर उनको श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को रवाना एसीबी कार्यालय सीकर करने की हिदायत दी जाकर जाय तैनाती रवाना होने की मुनासिब हिदायत दी गई।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.01.2023 को समय 10.27 एएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी भंवरपाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.01.2023 को समय 1.44 पीएम परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 9784294979 से श्री भोलाराम के मोबाईल फोन नम्बर 6367244463 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी भंवरपाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.01.2023 को आरोपी भोलाराम द्वारा आमने–सामने हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''एफ'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी भंवरपाल ने स्वंय की व आरोपी श्री भोलाराम पंचायत समिति प्रधान देवर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी भंवरपाल द्वारा आरोपीगण बाबूलाल बीडीओ एवं श्री नरेन्द्र कुमार जेटीए को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाली पूर्व में प्रेषित रिश्वती राशि के नोट कमशः 30,000 एवं 20,000 कुल 50,000 रूपये परिवादी के चाहेनुसार पाउडर रहित कर सुपुर्द किये गये। परिवादी एवं गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती माया देवी प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपराधिक षडयंत्र के तहत अपने पति श्री रामनिवास एवं देवर श्री भोलाराम के साथ मिलीभगत करते हुये परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी में करवाये गये विभिन्न सीसी रोड निमार्ण कार्यो के बिलो का भुगतान करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.05.2022 को 90,000 रूपयें की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.05.2022 को श्रीमती माया देवी द्वारा अपने पति श्री रामनिवास की मौजूदगी में परिवादी से 50,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 20.01.2023 को रिश्वती राशि 50,000 रूपये श्री भोलाराम के मार्फत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री भोलाराम द्वारा श्रीमती माया देवी प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, उनके पति रामनिवास के साथ अपराधिक षडयंत्र के साथ मिलीभगत करते हुये परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी में करवाये गये विभिन्न सीसी रोड निमार्ण कार्यो के बिलो का भुगतान करवाने की एवज में दिनांक 10.05.2022 को 90,000 रूपयें की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.05.2022 को श्रीमती माया देवी एवं प्रधान पति श्री रामनिवास द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 20.01.2023 को आरोपी श्री भोलाराम द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपिया श्रीमती माया देवी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. एवं आरोपी श्री भोलाराम का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आता है।

आरोपी श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते

हुये श्री नरेन्द्र कुमार जेटीए पंचायत समिति के साथ अपराधिक षडयन्त्र के तहत मिलीभगत कर परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को श्री नरेन्द्र जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं द्वारा मध्यस्था करने पर उनकी मौजूदगी में पंचायत समिति स्तर के कार्यो में 2 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायत स्तर के कार्यो में 1 प्रतिशत कमीशन तथा ग्राम पंचायत में लगाये गये सुरक्षा गार्डो के 10–20 हजार रूपये एक साथ लेने पर सहमत होना तथा परिवादी के पंचायत समिति स्तर के भुगतान उठाये गये करीब 20 लाख रूपयों के कार्यो के 40,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होना पृथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त आरोपी श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं, हाल मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद चूरू का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आने पर उक्त श्री भोलाराम, श्रीमती माया देवी प्रधान एवं श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी के साथ मिलीभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2022 को परिवादी से उसके निर्माण कार्यो की एमबी भरने के लिये 3 प्रतिशत के हिसाब से 78,000 रूपये कमीशन की मांग की तथा पूर्व के 15,000 रूपये प्राप्त होने की कहते हुये शेष 60,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आता है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

आरोपी श्री रामनिवास प्रधान पति द्वारा श्रीमती माया देवी प्रधान पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं एवं उसके देवर श्री भोलाराम के साथ अपराधिक षडयंत्र के साथ मिलीभगत करते हुये परिवादी श्री भंवरपाल सिंह द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी में करवाये गये विभिन्न सीसी रोड निमार्ण कार्यो के बिलो का भुगतान करवाने की एवज में दिनांक 10.05.2022 को 90,000 रूपयें की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19. 05.2022 को स्वयं एवं श्रीमती माया देवी द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये बतौर रिश्वत लेने पर सहमत होना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री रामनिवास का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण श्रीमती माया देवी प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, श्री भोलाराम प्रधान देवर, श्री रामनिवास प्रधान पति श्री बाबूलाल तत्कालीन बीडीओ पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद चूरू एवं श्री नरेन्द्र कुमार जेटीए पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के विरूद्व उपरोक्तानुसार धाराओं में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रामनिवास, हाल प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं, 2. श्री भोलाराम पुत्र श्री मालाराम, निवासी ग्राम नगंली गुजरान, ग्राम पंचायत नाटास, पुलिस थाना गुढ़ा गौड़जी, जिल झुन्झुनूं, 3. श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम, निवासी गांव बड़ागांव, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं, हाल मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद चूरू, 4. श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालीन जेटीए, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं एवं 5. श्री रामनिवास पंचायत समिति उदयपुरवाटी प्रधान श्रीमती माया देवी का पति के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 19/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 141-46 दिनांक 21.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज निगम, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, आयोजना निगम राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर झुंझुनूं।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

21.1.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।